Santosh Kumar Shukla
(Advocate)

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश न्यायालय कं.-14 वाराणसी

फौजदारी अपील नं. 82/2012

मनीषसिंह [illegible] [illegible] [illegible] कोर्ट

-:-

[illegible], वाराणसी कोर्ट

(नकल निर्णय
दि :- 24-9-12)

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रतिलिपि विभाग वाराणसी

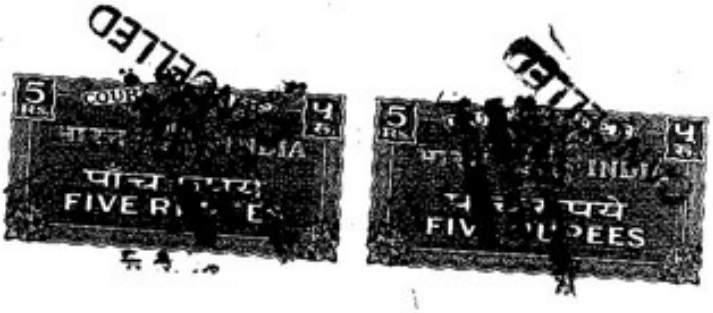

केवल नकल की फीस के लिए

आवश्यक स्टाम्प सहित प्रार्थना-पत्र देने की तारीख	नोटिस बोर्ड पर नकल तैयार होने की सूचना की तारीख	नकल वापस दिये जाने की तारीख	नकल वापस देने वाले अधिकारी का हस्ताक्षर
25-9-12	26-9-12	26-9-12	[signature] 26-9-12

19/25-9-12

न्यायालय अपर जिला न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–14, वाराणसी

उपस्थितः– श्री योगेश चन्द्र त्रिपाठी (एच0 जे0 एस0)

प्रकीर्ण अपील संख्या–82 / 2012

मणिकर्णिका सेवा आश्रम संस्था एवं एक अन्य – – – –––वादीगण / अपीलकर्तागण

बनाम्

नगर निगम, वाराणसी वगैरह – – – – – – – – प्रतिवादीगण / प्रत्युत्तरदातागण

निर्णय

यह प्रकीर्ण अपील अपीलकर्तागण की तरफ से व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश–43 नियम–1 के अन्तर्गत अपर सिविल जज वरिष्ठ वर्ग कोर्ट संख्या–2 वाराणसी द्वारा मूलवाद संख्या–238 / 2012 मर्णिकर्णिका सेवा आश्रम संस्था काशी बनाम नगर निगर वाराणसी में पारित आदेश दिनांक 21/05/2012 के विरूद्ध दाखिल किया है। आक्षेपी आदेश से विद्वान अपर सिविल जज वरिष्ठ वर्ग कोर्ट संख्या–2 वाराणसी द्वारा अपीलकर्तागण की व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश–9 नियम–13 के अन्तर्गत दिये गये आवेदन पत्र 6ग को निरस्त कर दिया, जिससे क्षुब्ध होकर यह अपील दाखिल की गयी।

मुकदमा का प्रकरण इस प्रकार से है कि अपीलकर्तागण द्वारा उत्तरदातागण के विरूद्ध घोषणात्मक अनुतोश एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद संस्थित करते हुए व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश–39 नियम–1 व 2 के अन्तर्गत 6ग आवेदन पत्र मय शपथ पत्र देकर यह कथन किया कि मणिकर्णिका सेवा आश्रम संस्था काशी स्थित भवन संख्या–सी.के. 10 / 40ए मोहल्ला ब्रम्हनाल, वाराणसी में स्थित है। वादी संख्या–1 रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत एक पंजीकृत संस्था है और वादी संख्या–2 उसका मंत्री है। उसके अनुसार उपरोक्त संस्था दिनांक 29/01/47 से पंजीकृत होकर उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के अनुरूप सेवारत है। उक्त भवन का प्रयोग गरीब विद्यार्थियों के लिये निःशुल्क शिक्षा व दीन अनाथों, अपाहिजों, रूग्ण स्त्री पुरूषों व मरणासन्न रोगियों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, रहने व भोजन आदि देने के लिए व्यवस्था किया जाता है। लोग दूर दराज से शव लेकर आते है और वहां विश्राम करते है। उपरोक्त संस्था के ट्रस्टी पैरा–6 में उल्लिखित किये गये है। प्रश्नगत भवन तीन मंजिला है जो पूर्व में स्वामी लीलाधर स्वरूप की सम्पत्ति थी और उनका नाम बनारस म्युनिसपल बोर्ड के असेसमेन्ट पंजिका में दर्ज था। उनके कोई उत्तराधिकारी नही था। इसलिए उन्होंने इसे लोकहित में ट्रस्ट बनाकर उसमें निहित कर दिया। इसके कारण असेसमेन्ट रजिस्टर में ट्रस्टियों का नाम बतौर स्वामी अंकित किया गया। तब से उक्त भवन उसमें उल्लिखित उद्देश्य की पूर्ति के प्रयोग में लाया जा रहा है। म्युनिसपल बोर्ड बनारस ने गलत तरीके से उस पर अपना नाम दर्ज करा लिया है। उनका उस पर कभी कोई कब्जा नही रहा और वादीगण ही उक्त भवन पर निर्वाह रूप से देखभाल कर उसका प्रयोग उसमें उल्लिखित उद्देश्यों के लिए

करते रहे। सन 1952 मे सक्षम अधिकारी ने असेसमेन्ट रजिस्टर से म्यूनिसपल बोर्ड बनारस से ग्राम हटाने का आदेश देकर भवन को कर मुक्त कर दिया। दिनांक 29/01/1947 को ट्रस्ट स्थापित होने पर कालान्तर में ट्रस्ट सदस्यों की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर नये सदस्य चयनित होते रहे। अन्तिम संस्थापक ट्रस्टी नन्द किशोर प्रहलाद की दिनांक 11/12/2004 को मृत्यु हुई जिसकी पूर्ति की गयी और वर्तमान प्रबन्ध संमिति में कुल 7 सदस्य है जिसका विवरण दिया गया है। माह अप्रैल सन 2010 में रात 10 बजे बिना किसी सूचना के थाना–चौक वाराणसी की पुलिस ने उपरोक्त भवन के मुख्य द्वार पर ब्रम्हनाल पुलिस चौकी का बोर्ड लगाकर भवन में ताला बन्द कर दिया। पूछने पर बताया कि अपर जिलाधिकारी शहर वाराणसी के आदेश पर ताला बन्द किया गया है। दिनांक 20/0.1/2011 को लिखित आवेदन पर यह सूचना उपलब्ध करायी गयी कि ऐसी कोई चौकी उक्त भवन में स्थापित नही की गयी है और न उक्त भवन में ताला बन्द किया गया है। यह राजस्व विभाग की कार्यवाही है। लेकिन प्रश्नगत अधिकारियों से सम्पर्क करने पर उन्होंने अनभिज्ञता प्रकट किया। पुलिस चाकी स्थापित करने का कोई आदेश नही पाया गया। उपरोक्त भवन को तत्काल खाली करने का अनुरोध किया गया और इसे समाचार पत्र में भी प्रकाशित किया गया। लेकिन उसका ताला नही खोला गया। दिनांक 04/11/2011को प्रतिवादी संख्या–2 ता 4 द्वारा उसका ताला खोला गया और वादी ने उस पर पुनः कार्य प्रारम्भ किया। लेकिन जिला मजिस्टेट वाराणसी के दिनांक 16/11/2011 के आदेश पर पुनः ताला बन्द कर दिया गया और दिनांक 17/11/11 को ट्रस्टी संजीत कुमार दास एवं अन्य लाभार्थियों को बाहर कर दिया गया। उनके अनुसार उत्तरदाता/प्रतिवादीगण को उपरोक्त भवन में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नही है। उनके द्वारा हस्तक्षेप कर ताला बन्द करने से उन्हें अपूरणीय क्षति होगी और उनके पक्ष में सुविधा सन्तुलन है। उन्हें व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा–80 एवं नगर निगम की धारा–571 के अन्तर्गत नोटिस दी गयी। उसके उपरान्त भी भवन नही खाली किया गया। उसके उपरान्त आवेदन पत्र 6ग देकर उन्हें उपरोक्त भवन में दौरान मुकदमा हस्तक्षेप करने से मना करने हेतु दिया गया।

प्रतिवादीगण न्यायालय उपस्थित आये और प्रतिवादी संख्या–1 द्वारा 49ग एवं प्रतिवादी संख्या–2 ता 5 द्वारा 53ग आपत्ति मय शपथ पत्र दाखिल किया गया। उनके द्वारा वादी के कथन से इन्कार किया गया। उनके अनुसार उपरोक्त भवन लगभग 100 वर्ष पूर्व एक भिक्षुक द्वारा बनवाया गया था। उपरोक्त भिक्षुक की मृत्यु के उपरान्त उसका कोई उत्तराधिकारी न होने से उक्त सम्पत्ति राज्य सरकार की हो गयी जो नगर निगम के नाम से दर्ज है। इसी के साथ मणिकर्णिका सेवा आश्रम के ट्रस्टियों का नाम भी दर्ज है। समाज सेवी व्यक्तियों द्वारा सन् 1947 में मणिकर्णिका

सेवा आश्रम संस्था काशी नामक ट्रस्ट बनाकर सम्पत्ति का उपयोग किया जा रहा है। ट्रस्टियों की मृत्यु के पश्चात उपरोक्त सम्पत्ति पर असमाजिक व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से कब्जा करने का प्रयास किया गया जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस के सहयोग से नगर निगम द्वारा उस पर ताला लगा दिया गया। बन्द ताला तोड़कर पुन : उस पर कब्जा किये जाने की शिकायत प्राप्त होने पर दिनांक 16/11/2011 को जिला मजिस्ट्रेट वाराणसी द्वारा अपनी अभिरक्षा में लेकर पुलिस को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया गया और अतिक्रमित संजीत कुमार दास एवं अन्य व्यक्तियों को उसमें से निकाला गया। संजीत कुमार दास को उपरोक्त सम्पत्ति का अभिलेख दाखिल करने का निर्देश दिया गया। परन्तु उनके द्वारा पदाधिकारियों की सूची व नवीन प्रमाण पत्र नही दिखाया गया और जो प्रमाण पत्र दिखाया गया उसके आधार पर संस्था का पंजीकरण दिनांक 29/01/2005 को समाप्त हो चुका था और साजिशन उपरोक्त सम्पत्ति पर कब्जा करने के लिए गलत सूची देकर उनके द्वारा नया पंजीकरण कराया गया। उक्त प्रमाण पत्र की अवधि दिनांक 28/01/2010 को समाप्त हो चुका है। ट्रस्टियों का चयन किस प्रकार से हुआ यह स्पष्ट नही है। उपरोक्त भवन भिखारी नाम धर्मशाला से जाना जाता है और आराजी संख्या–1588 मौजा–खाश रकबा–1 बिस्वा 9 धूर अर्थात 1972 वर्गफिट पर चार मंजिला भवन निर्मित है। यह सार्वजनिक भवन की भूमि है और नगर निगम के स्वामित्व में है। उपरोक्त जमीन पर मालिकाना हक प्राप्त करने के लिए मुकदमा किया गया है। उनका कोई अधिकार उस पर नही है। इसलिए उनका प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाय।

वादीगण की तरफ से सूची 9ग से प्रतिवादीगण को भेजी गयी नोटिस की प्रति 10ग, नोटिस भेजने से संबंधित पोस्टल रसीदों की मूल प्रतियां 11ग लगायत 20ग, असेसमेन्ट रजिस्टर 1945 से 1951 बाबत भवन संख्या–10/40ए ब्रम्हनाल वाराणसी 21ग, इसी भवन से संबंधित असेसमेन्ट वर्ष 1951–59, 1959 से 1967, 1967 से 1976 व 1978 से 2011 कागज संख्या–22ग लगायत 25ग प्रस्तुत की गयी है। प्रतिवादीगण को भेजी गयी नोटिस की डिलेवरी प्रमाण पत्र आदि 26ग लगायत 28ग, मणिकर्णिका सेवा आश्रम संस्था के मेमोरण्डम नियमावली पंजीकरण नवीनीकरण बन्ध समिति सूची, मीटिंग कार्यवाही एवं पैन एलाटमेन्ट की फोटो लेटर की प्रतियां 29ग लगायत 34ग प्रस्तुत की गयी है। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी व विभिन्न प्रशासनिक अधिकारियों को प्रेषित पत्र तथा सूचना सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त सूचनाओं की प्रति, जिलाधिकारी का आदेश मूल प्रति, फर्द सुपुर्दगी व बैलेन्ससीट आदि प्रस्तुत किया है। इसके अतिरिक्त 69ग सूची से विशेष भूमि अध्याप्त की फोटो प्रस्तुत की गयी है।

प्रतिवादीगण की तरफ से सूची 55ग से जिला मजिस्ट्रेट का आदेश दिनांक–

30/12/11, रिपोर्ट थाना–चौक दिनांक 17/11/2011, फर्द सुपुर्दगी दिनांक 17/11/2011, सोसाइटी नवीनीकरण प्रपत्र मर्णिकर्णिका सेवा आश्रम के पदाधिकारियों की सूची व नगर निगम का प्रमाण पत्र, 56ग लगायत 61ग प्रस्तुत किया गया। सूची 66ग से पत्र दिनांक 17/11/2011 व राजस्व अधिकारी की रिपोर्ट 67ग से 68ग प्रस्तुत की गयी है। सूची 73ग से खतौनी की छाया प्रति नगर नगर आयुक्त का आदेश दिनांक 27/03/2012 की छाया प्रति प्रस्तुत की गयी है। पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनते हुए विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नगर निगम में प्रश्नगत भवन में नाम दर्ज होने से वादीगण का स्वामित्व नही माना। इसलिए उनकी अपूरणीय क्षति भी नही माना और उपरोक्त भवन पर प्रतिवादीगण का ताला लगा होने से वादीगण का कब्जा न मानकर उनकी प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया जिससे क्षुब्द्ध होकर यह अपील दाखिल की गयी है।

अपीलकर्तागण के अनुसार उपरोक्त आदेश विधिसम्मत नही है। अधीनस्थ न्यायालय ने उसके अभिलेखों और उसके द्वारा दी गयी विधि व्यवस्थाओं का विश्लेषण नही किया और गलत ढंग से उत्तरदाता नगर महापालिका बनारस का स्वामित्व मानकर उसकी प्रार्थना पत्र को निरस्त किया गया। उत्तरदातागण प्रशासनिक अधिकारी है और उनके द्वारा जबरन कब्जा किया गया है। उसके संस्था का पंजीकरण अद्यतन दिनांक 28/01/2015 तक के लिए नवीनीकृत किया गया है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने इन सब बिन्दुओं का विश्लेषण न करते हुए आदेश पारित किया जो विधिसम्मत नही है। इसलिए उपरोक्त आदेश अपास्त किया जाना चाहिए। अपील प्रस्तुत होने पर उसे अंगीकृत किया गया। उत्तरदातागण को नोटिस भेजी गयी। उत्तरदातागण के उपस्थित आने पर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गयी। अपील स्तर पर अपीलकर्तागण की तरफ से 23ग अभिलेख दाखिल किया गया।

मैने उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का परिशीलन किया।

1– मणिकर्णिका सेवा आश्रम की तरफ से यह वाद दाखिल किया गया है और कहा गया है कि भवन संख्या–सी.के. 10/40ए मुहल्ला–ब्रम्हनाल, चौक वाराणसी पहले स्वामी लीलाधर स्वरूप के द्वारा निर्मित किया गया था। इसके विपरीत प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण की तरफ से कहा गया कि उपरोक्त भवन को एक भिक्षुक द्वारा 100 वर्ष पूर्व निर्मित किया गया था। लेकिन दोनों ही स्थितियों में यह पाया जाता है कि उपरोक्त भवन का निर्माण प्रतिवादीगण द्वारा नही किया गया। वादीगण ट्रस्टियों का नाम वाराणसी नगर निगम के अभिलेखो में प्रपत्र संख्या–23ग से 25ग के आधार पर 1 अप्रैल 1959 से दिखाया गया है एवं 29ग के आधार पर उपरोक्त मणिकर्णिका सेवा आश्रम के मेमोरण्डम के आधार पर उसका नाम

मणिकर्णिका सेवाश्रम काशी है और इसका प्रधान कार्यालय इसी आश्रम भवन काशी में है जिसमें दीन अनाथों और अपाहिजों की इस आश्रम के सबसे नीचे व उसके उपर के दो खण्डो में आश्रय देना व रूग्ण स्त्री, पुरूषों को चौथे खण्ड में आश्रय देना व मरणसन्न रोगियों को तीसरे खण्ड में आश्रय देना और निःशुल्क भोजन, चिकित्सा आदि शामिल है और उसमें संस्थापक सदस्यों का नाम उल्लिखित है जिसमें श्री लीलाधर स्वरूप सन्यासी का नाम का नाम पहला है। उपरोक्त नियमों का विधिवत उल्लेख 30ग में किया गया है तथा 31ग के आधार पर उसका दिनांक 29/01/90 को 5 वर्ष के लिए नवीनीकरण सोसायटी के रजिस्ट्रार द्वारा किया गया है। इसलिए उपरोक्त अभिलेखों के आधार पर मणिकर्णिका सेवा आश्रम एक पंजीकृत संस्था पाया जाता है जिसका अद्यतन नवीनीकरण किया गया है। यद्यपि इसके सम्बन्ध में उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया कि मूल ट्रस्टी की मृत्यु हो चुकी है, एवं वर्तमान में गलत तरीके से ट्रस्टी बनकर उसका पंजीकरण एवं नवीनीकरण कराया गया है। इस कारण उसे नही मानना चाहिए, यह मान्य होने योग्य नही है और सक्षम अधिकारी द्वारा उसे पंजीकृत करते हुए उसे नवीनीकृत किया है। इसलिए इसके सम्बन्ध में उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क ग्राह्य नही रहता और यह कहा जाता है कि उपरोक्त भवन पर दिनांक 27/01/1947 से मर्णिकर्णिका सेवा आश्रम के नाम से होना पाया जाता है। यद्यपि खतौनी में म्युनिसपल बोर्ड बनारस का उल्लेख किया गया है। लेकिन साक्ष्य से यह पाया जाता है कि महापालिका बोर्ड बनारस द्वारा उपरोक्त भवन का निर्माण नही किया गया है। अपितु उपरोक्त भवन नगर महापालिका सीमा के अन्दर होने से उसका नाम उल्लिखित किया गया है। इसलिए उसके कारण अधीनस्थ न्यायालय यने महापालिका बोर्ड बनारस को स्वामी माना वह विधिसम्मत नही पाया जाता और साक्ष्य के आधार पर वादी/अपीलकर्तागण का स्वामी के सम्बन्ध में उपरोक्त भवन पर प्रथम दृष्टया साक्ष्य पाया जाता है। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने इस सम्बन्ध में वादी का स्वामित्व न मानकर महापालिका बोर्ड का स्वामित्व माना वह विधिसम्मत नही पाया जाता एवं अपील स्तर पर 23ग अभिलेख में तहसीलदार एवं जन सूचना अधिकारी सदर वाराणसी द्वारा दिये गये प्रमाण पत्र के आधार पर आराजी संख्या–6588 मौजा–शहर का कोई राजस्व अभिलेख या खसरा खतौनी उपलब्ध नही है। इसलिए प्रतिवादी का कथन कि उपरोक्त भवन भूमि संख्या–6588 में बना है और 6588 में उक्त भवन के अलावा सीढ़ी तथा अन्य जमीन है। इसके कारण नगर निगम का अधिकार मानना चाहिए। यह मान्य होने योग्य नही है और भवन स्वीकार्य रूप से नगर निगम द्वारा नही बनाया गया है। इसलिए भवन के सम्बन्ध में नगर निगम का स्वामित्व मनना विधिसम्मत नही पाया जाता।

2– उत्तरदाता/प्रतिवादीगण की तरफ से आख्या जिलाधिकारी के आदेश के

आधार पर दिया गया है, जिसमें यह उल्लिखित किया गया है कि भवन संख्या–10/40ए बन्दोबस्ती आराजी संख्या–6588 मौजा–शहर खास रकबा 1 विस्वा 9 धूर अर्थात 1972 वर्गफिट की भूमि पर चार मंजिला पक्का मकान पाया गया। मकान के भूतल पर साजन यादव पुत्र अंजनी निवासी–सी.के. 8/81 गढ़वासी टोला द्वारा गाय भैस बांधा जाता है और अपने को शिवजी मंदिर व शक्तिजी मंदिर के सेवईत बताया गया जिसमें शिवजी व शत्ती जी का मन्दिर भी स्थित है। दूसरे तल पर सार्वजनिक कार्य गरीबों के ठहरने के प्रयोग में, तीसरे तल पर मुफ्त में दावा बाटी जाती है और चौथे तल पर लीलाधर विद्यालय संचालित है। उन्होंने सोसायटी का रजिस्टेशन भी माना है। उपरोक्त आख्या दिनांकित 17/12/11 के आधार पर यह स्पष्ट है कि उसमें टस्ट ममोरण्डम 29ग व 30ग के आधार पर पारित किया जा रहा है। इसलिए उस समय तक वादीगण के द्वारा उपरोक्त कार्य सम्पादित किया जा रहा था। प्रतिवादीगण द्वारा यह कही उल्लिखित नही किया गया कि उनके द्वारा स्कूल संचालित किया गया अथवा दवा बाटा गया अथवा अन्य कोई कार्य उसमें किया गया। इसलिए उस समय तक वादीगण का टस्ट के आधार पर कब्जा भी पाया जाता है। यद्यपि पुलिस द्वारा माह अप्रैल सन 2010 में उसने अपना ताला लगाकर ब्रम्हनाल पुलिस चौकी का बोर्ड लगाया गया, यजिसका उल्लेख दैनिक समाचार पत्र में भी पुलिस पर व्यंग कसते हुए उल्लेख किया और पुनः दिनांक 16/11/11 को उस पर ताला लगाया गया जिसके विरूद्ध वादी द्वारा 36ग एवं 37ग से प्रतिवाद भी किया गया। यद्यपि उत्तरदातागण की तरफ से यह तर्क दिया गया कि लीलाधर स्वरूप के विरूद्ध दक्षिण भारत में अनैतिक कार्य करने से उसके सम्बन्ध में चर्चित होने के कारण इस पर कार्यवाही की गयी। लेकिन उपरोक्त ट्रस्ट का किसी अनैतिक कार्य संलग्न होने का कोई भी प्रमाण नही दाखिल किया गया। इसलिए उपरोक्त कथन का कोई महत्व नही रहता और 41ग के आधार पर यह आदेश पारित किया गया कि उसने समस्त अभिलेख दाखिल किया और तब तक उसे थाना–चौक अपने कब्जा में रखेगे। उसी के आधार पर 42ग सुपुर्दगीनामा दिनांक 17/11/2011 लिखा गया। लेकिन समस्त आधारों पर यह पाया जाता है कि वादीगण/अपीलकर्तागण को विधि विरूद्ध ढंग से उपरोक्त भवन से बेदखल किया गया। इसलिए व्यवहार प्रकिया संहिता के अन्तर्गत यदि वाद दाखिल करने के पूर्व वादी को विधि विरूद्ध ढंग से बेदखंल किया जाता है तब उस स्थिति में कब्जा के अभाव में उसका अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र निरस्त नही किया जायेगा। इसलिए उत्तरदातागण द्वारा उपरोक्त कब्जा विधि विरूद्ध ढंग से करने पर उसका लाभ उत्तरदातागण को नही मिलेगा। अतः इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने कब्जा के अभाव मा उल्लेख कर जो आदेश पारित किया वह विधिसम्मत नही पाया जाता।

3— अस्थाई निषेधाज्ञा के लिए यह आवश्यक रहता है कि वादी अपना प्रथम दृष्टया वाद, अपूरणीय क्षति व सुविधा का सन्तुलन साबित करें। वादी एक पंजीकृत संस्था है, जिसके भवन का कार्यालय उपरोक्त भवन में है। उपरोक्त भवन पर प्रतिवादीगण का कोई अधिकार नही पाया जाता। इसलिए वादी का प्रथम दृष्टया वाद साबित होता है। यदि वादी को उससे बेदखल किया गया अथवा ट्रस्ट के कार्य के उद्देश्य के संचालन में अवरोध किया गया तब संस्था को अपूरणीय क्षति होगी एवं सुविधा का संन्तुलन इस आधार पर देखा जाना चाहिए कि प्रार्थना पत्र स्वीकार एवं अस्वीकार होने पर किस पक्ष को अधिक हानि होगी। उत्तरदातागण प्रशासनिक अधिकारी है उनका यदि कोई आपत्ति रहती है तब वे उस पर अपना अधिकार सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है। लेकिन यदि वे पुलिस बल के आधार पर वादी को बेदखंल करते है तब उस स्थिति में सुविधा का संतुलन उत्तरदातागण के पक्ष में न होकर वादीगण के पक्ष में रहता है। अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त सम्बन्ध में यह मत दिया कि कौन कौन सी वादी द्वारा ट्रस्ट के अनुपालन में कौन कौन सी गतिविधियां चलायी जा रही है, उसका उल्लेख नही है। निःशुल्क शिक्षा एवं स्कूल का कोई प्रमाण नही है। इसलिए प्रार्थना पत्र को निरस्त कर दिया तथा यह भी मत दिया कि अन्तरिम आदेश के सम्बन्ध में कब्जा वापस नही दिलाया जा सकता। लेकिन स्वीकार्य रूप से 41ग के आधार पर स्कूल चलाया जाना, मुफ्त दवा दिलाया जाना पाया जाता है और तृतीय तल पर रहने का स्थान भी पाया जाता है। इसलिए उपरोक्त अभिलेखों का अवलोकन न कर जो मत दिया गया वह विधिसम्मत नही है एवं वाद दाखिल करने के ठीक पूर्व यदि कब्जा प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के कब्जे का कोई महत्व नही रहता।

इस सम्बन्ध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा कावासजी वार्डेन बनाम रब वार्डेन एवं अन्य ए0 आई0 आर0 1990 पेज—867 में यह मत दिया है कि कब्जे के सम्बन्ध में आदेशात्मक निषेधाज्ञा का अनुतोष दिया जा सकता है, क्यों कि इस वाद में पुलिस और प्रशासन द्वारा कब्जा प्राप्त किया गया है। इसलिए उपरोक्त विधि व्यवस्था के आधार पर वादी का कब्जा मानते हुए निषेधाज्ञा का अनुतोष जारी किया जा सकता है। इसी प्रकार माननीय पंजाब एण्ड हरियाणा उच्च न्यायालय ने दिलीप सिंह बनाम होशियारा सिविल ला जनरल 2000 (1) पेज—302, गोबर्धन सिंह बनाम मुल्कराज एवं अन्य ए0 आई0 आर0 1973 जम्मू एण्ड काश्मीर पेज—63, संत लाल जैन बनाम अवतार सिंह ए0 आई0 आर0 1985 सुप्रीम कोर्ट पेज—857 तथा मेसर्स विजय श्रीवास्तव बनाम मिराहुल इन्टर प्राईजेज एवं अन्य ए0 आई0 आर0 1988 इलाही पेज—140 के आधार पर कब्जा के सम्बन्ध में अस्थाई निषेधाज्ञा दिया जा सकता है। इसलिए उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के आधार पर तथा विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा—39 के आधार पर आज्ञापक व्यादेश भी जारी किया जासकता है।

इन सब आधारों पर उत्तरदातागण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क कि कब्जे के अभाव में निषेधाज्ञा नही दिया जा सकता, यह मान्य नही है और विद्वान अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त सम्बन्ध में जो मत दिया गया है वह विधिसम्मत नही पाया जाता। इस कारण वह भी मान्य होने योग्य नही रहता।

उपरोक्त समस्त विश्लेषण के आधार पर यह पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने 6ग प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते समय विधिक प्राविधानों तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का सही ढंग से विश्लेषण नही किया। इसलिए उपरोक्त अपील को स्वीकार करना उचित समझता हूँ। उत्तरदातागण/प्रतिवादीगण के विद्वान अधिवक्ता की ओर से तर्क में अन्य कोई ऐसा पक्ष नही प्रस्तुत किया गया जिससे यह माना जाय कि अपील पोषणीय नही है। इसलिए आपत्ति में बल नही पाया जाता और अपील व्यय सहित स्वीकार कर उपरोक्त आदेश निरस्त करना उचित समझता हूँ।

आदेश

अपील व्यय सहित स्वीकार की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/05/2012 [illegible] अपास्त किया जाता है तथा वादीगण का 6ग प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादीगण/उत्तरदातागण को आदेश दिया जाता है कि वे विवादित भवन में दौरान मुकदमा वादीगण/अपीलकर्तागण के कब्जा दखल में कोई हस्तक्षेप न करें। पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को वापस भेजी जाय। पक्षकार अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 22/10/2012 को उपस्थित हों।

दिनांक:24/09/2012

(योगेश चन्द्र त्रिपाठी)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–14, वाराणसी

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक:24/09/2012

(योगेश चन्द्र त्रिपाठी)
अपर जनपद न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–14, वाराणसी